

**छात्रावासों/मैसों/अन्य स्थानों में निवास कर रहे छात्रों द्वारा घोषणा
(प्ररूप 6 के साथ संलग्न किया जाये)**

इस बॉक्स में पूरे चेहरे के सामने
भाग को दर्शित करने वाली एक
पासपोर्ट आकार (3.5x3.5 से.
मी.) फोटो चिपकाने का स्थान।

1. मैं,(नाम बड़े अक्षरों में,) पुत्र/पुत्री
निवासी

(मूल स्थान का डाक का पूरा पता) इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि : -

(क) मैं.....(संस्था का नाम) का वास्तविक छात्र हूँ और
(मास)(वर्ष) से(मास).....(वर्ष) तक(पाठ्यक्रम का ब्यौरा)
..... का अध्ययन कर रहा हूँ ;

* (ख) मैं वर्तमान में निम्नलिखित में निवास कर रहा हूँ :-

(i) (यदि छात्रावास/मैस में निवास कर रहा हो
तो छात्रावास/मैस के कमरा सं./ब्लॉक सं./ब्लॉक नाम इत्यादि का उल्लेख करें)।

या

(ii) (यदि छात्रावास/मैस के बाहर किसी अन्य स्थान में
निवास कर रहा हो तो छात्रावास/मैस के बाहर के निवास स्थान के पूरे पते का उल्लेख
करें)।

* (ग) मैं अपने माता-पिता/संरक्षक के साथ उपर उल्लिखित मेरे मूल स्थान की निर्वाचक नामावली में
रजिस्ट्रीकृत होना चाहता हूँ/मेरे रजिस्ट्रीकरण को रखना चाहता हूँ।

या

* मैं उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहता हूँ जहाँ मैं वर्तमान में
निवास कर रहा हूँ।

2. मुझे इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक
ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा नहीं है और लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1950 की धारा 31 के दाण्डिक उपबंधों की भी जानकारी है जो निम्न प्रकार से है :-

“यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा (ख)
किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उससे अपवर्जित किये जाने के संबंध में,
ऐसा लिखित कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है
या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि
एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।”

स्थान :

दिनांक :

(छात्र के हस्ताक्षर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त (क) पर की घोषणा में दी गयी सूचना और फोटो
को संस्था के अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है।

स्थान :

दिनांक :

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/संकायाध्यक्ष
के हस्ताक्षर और मुहर

*लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।

टिप्पणी :- संबंधित नि.र.आ. को घोषणा देने का भार आवेदक पर होगा।